ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

VEER BAHADUR SINGH PURVANCHAL UNIVERSITY, JAUNPUR

JAUNPUR-222003

दिनांक:05/06/2025

06.06.25

सन्दर्भ संख्या:PURVAN/सब/ /2025 799

स्थायी सम्बद्धता-आदेश

उ0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च शिक्षा की अनुदेशा एवं कार्यपरिषद् की अनुमति (दिनांक: 05/06/2025) से RAJARAM MAHAVIDYALAYA BELAUNAKALA BARSATHI JAUNPUR को UG स्तर पर

	Course Name	Subject Name
1	BACHELOR OF COMMERCE (2025-2026)	COMMERCE
2	BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE (2025-2026)	BSCAG
3	BACHELOR OF SCIENCE (2025-2026)	BOTANY
4	BACHELOR OF SCIENCE (2025-2026)	CHEMISTRY
5	BACHELOR OF SCIENCE (2025-2026)	MATHEMATICS
6	BACHELOR OF SCIENCE (2025-2026)	PHYSICS
7	BACHELOR OF SCIENCE (2025-2026)	ZOOLOGY

उपरोक्त वर्णित योजनान्तर्गत सत्र 2025-2026 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. प्रविष्ट सत्र 2019-20 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2025-2026 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2019-20 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार 60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2020-21 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।

2. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का

3. महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

4. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

5. प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

6. महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन सम्पन्नता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।

7. शासन द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

8. शिक्षकों की नियुक्ति एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

9. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

कुल सचिव
06/06/25

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. माननीय कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-....., उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Jaunpur मण्डल,
4. प्रधानाचार्य, RAJARAM MAHAVIDYALAYA BELAUNAKALA BARSATHI JAUNPUR को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रभारी निरीक्षक,RAJARAM MAHAVIDYALAYA BELAUNAKALA BARSATHI JAUNPUR, Jaunpur
6. कुलसचिव कार्यालय।
7. फाइल/गार्ड फाइल।

कुल सचिव